International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

महिलाओं के प्रति आपराधिक प्रणाली की अवधारणा का अध्ययन

ANITA KUMARI
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND

DR. KUMARI GITA
ASSISTANT PROFESSOR, DEPARTMENT OF SOCIOLOGY, RADHA GOVIND UNIVERSITY, RAMGARH, JHARKHAND

सारांश

महिलाओं को आमतौर पर अपराध करने की दृष्टि से आसान लक्ष्य माना जाता है। मनुष्य अपने स्वार्थ लालच, कामवासाना की पूर्ति में इतना लिप्त है कि वह महिलाओं की रक्षा करने की जगह उसका भक्षण कर रहा है। महिलाओं को पुरूषों ने भोग विलास की वस्तु मान लिया है। विभिन्न तरह के हिंसात्मक अपराध महिलाआ के प्रति किए जा रहे है। उनको पीटा जाना, अपहरण किया जाना, उनके साथ बलात्कार किया जाना,उन्हें जला दिया जाना आज की महिला शिक्षित तथा आत्मनिर्भर हो गई है। परन्तु वह कही भी सुरक्षित नही है। महिलाआ को कई तरह की हिंसा का शिकार होना पडता है आज के युग में घर हो या बाहर हर जगह अपने आपको असुरक्षित महसूस करती है। महिलाआं को इतना अधिक शाधित किया जा रहा है कि उनकी हत्या कर दी जाती है या फिर वह स्वयं ही आत्महत्या कर लेती है। ''महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नही है। पिछले वर्षों में महिलाआं के विरूद्ध हिंसा में तीव्र वृद्धि प्रतीत हो रही है। हमारे यहां महिलाओं प्राचीन काल से ही प्रताडना,यातनाओं तथा शोषण का शिकार होती रही है। कारण कुछ भी रहे हो, इसे नकारा नही जा सकता है। भारत सरकार के विगत 20 वर्षों के ऑकडे इसका स्पष्ट प्रमाण है कि महिलाओं के विरूद्ध अपराध का ग्राफ निरन्तर बढ़ा है। आज महिलाए अपने आपको किसी भी जगह सुरक्षित महसूस नही कर पाती है, चाहे वह स्कूल हा या कॉलेज, दफ्तर हो या आने जाने वाले यातायात के साधन जैसे बस, ट्रेन, टेम्पों

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

आदि यहां तक की आज तो यह स्थिति है कि महिलाए सड़क पर पैदल चलने से कतराती है। आज महिलाआं के साथ विभिन्न प्रकार के हिंसात्मक अपराध किए जा रहे है।

मुख्यशब्द– महिलाओं के विरूद्ध हिंसा, प्रताडना, यातना, शोषण, महिलाओं के विरूद्ध अपराध

प्रस्तावना

"अपराध को परिभाषित करना आसान नहीं है। सभी समाजों के कुछ मानदंड, विश्वास और रीति–रिवाज और परंपराएं होती हैं, जिन्हें इसके सदस्यों द्वारा उनके कल्याण और स्वस्थ विकास के अनुकूल माना जाता है। इन पोषित मानदंडों और रीति–रिवाजों के उल्लंघन को असामाजिक व्यवहार कहा जाता है। अधिकांश दार्शनिकों ने अपराध को एक असामाजिक, अनैतिक या पापपूर्ण व्यवहार के रूप में परिभाषित किया है। अपराध किसी भी प्रकार का आचरण है जिसे किसी राज्य में सामाजिक रूप से हानिकारक घोषित किया जाता है और जिसे कानून द्वारा कुछ दंड के तहत मना किया जाता है।टप्पन ने अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है, आपराधिक कानून के उल्लंघन में एक जानबूझकर कार्य या चूक, बिना किसी बचाव या औचित्य के किया गया और कानून द्वारा घोर अपराध या दुराचार के रूप में दंडित किया गया। गिलिन अपराध को परिभाषित करते हैं,एक ऐसा कार्य जिसे वास्तव में समाज के लिए हानिकारक दिखाया गया है या जिसे लोगों के एक समूह द्वारा सामाजिक रूप से हानिकारक माना जाता है, जिसके पास अपनी मान्यताओं को लागू करने की शक्ति है और जो इस तरह के कार्य को सकारात्मक के प्रतिबंध पर रखता है। इस प्रकार वह अपराध को देश के कानून के विरुद्ध अपराध मानता है।

अपराधता की समस्या का सामना हर समाज करता है। अपराध उतना ही निरंतर है जितना स्वयं समाज। जहाँ तक हम जानते हैं, मानव अनिश्चितता ने खुद को विभिन्न प्रकार के मानवीय जुड़ावों में दिखाया है। हर जगह, कुछ व्यक्ति हमेशा अनुमत आचरण के पैटर्न से बाहर हो जाते हैं। इस तथ्य का सामना करना सबसे अच्छा है कि अपराध को यूटोपिया के अपवाद के साथ रद्द नहीं किया जा सकता है। दुर्बलता, आक्रोश, उत्सुकता, ईर्ष्या और विभिन्न प्रकार की मानवीय विविधताएँ चारों ओर व्याप्त हैं, और यहाँ तक

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

कि मानवीय अनुमोदन भी मूर्ख, भ्रमित, अविवेकी, और अच्छी तरह से अनुकूलित नहीं होने के खिलाफ फलदायी नहीं रहे हैं। कारणों से, अत्यधिक विनीत और अत्यधिक दिमागी दबदबा इस प्रकार समझना असंभव बना देता है, सामान्य दबाव और इच्छाएं जो किसी व्यक्ति के आचरण को अनुरूप बनाने का निर्देश देती हैं, विशिष्ट परिस्थितियों में टूट जाती हैं। यह हमेशा उनके द्वारा किया गया है और भविष्य में भी करेगा। किसी भी समय सभी की जरूरतों की संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए अभी तक कोई संतोषजनक नीतियां नहीं खोजी गई हैं। तथ्य यह है कि अपराध एक सार्वभौमिक घटना है, और मानव समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए प्राथमिक चिंता का विषय है।

पीड़ित महिला

इस तथ्य के बावजूद कि महिलाएं किसी भी सामान्य अपराध की शिकार हो सकती हैं, जैसे कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ निर्देशित, श्महिलाओं के खिलाफ अपराधश के रूप में वर्णित हैं। इन गलत कामों से सफलतापूर्वक निपटने के लिए विभिन्न नए अधिनियम लाए गए हैं और मौजूदा कानूनों में संशोधन किए गए हैं।इन्हें भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत दो वर्गीकरणों के तहत व्यापक रूप से चित्रित किया गया है जैसे– ष्बलात्कार (सेक। 376, आईपीसी), निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए अपहरण और अपहरण (धारा 363–373 आईपीसी), दहेज के लिए हत्या, दहेज मृत्यु या उनके प्रयास (धारा 302/304–बी आईपीसी), यातना– मानसिक और शारीरिक दोनों (सेक। 498) –ए आईपीसी), छेड़छाड़ (धारा 354 आईपीसी), यौन उत्पीड़न (धारा 509 आईपीसी), लड़कियों का आयात (21 साल तक की उम्र) (धारा 366–बी आईपीसी) और विशेष और स्थानीय कानून के तहत अपराध जैसे अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956, दहेज निषेध अधिनियम, 1961, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (निषेध) अधिनियम, 1986 और सती आयोग (रोकथाम) अधिनियम, 1987। 63 "ऐसी बहुत सी स्थितियाँ हैं जिनमें महिलाएँ अपनी भेद्यता और उन्हीं व्यक्तियों पर निर्भरता का शिकार होती हैं, जिनसे वे परिवार और व्यावसायिक संबंधों में सम्मान, सुरक्षा और समर्थन की तलाश करती हैं। कई मामलों में, महिलाओं

को इसलिए प्रताड़ित किया जाता है क्योंकि वे महिलाएं हैं, और एक समाज द्वारा स्थापित और संचालित भूमिका निभाने के लिए उनका सामाजिककरण किया गया है, जो कई क्षेत्रों में पीड़ित महिलाओं के अनुभव के अस्तित्व और गंभीरता को स्वीकार करने से इनकार करने के माध्यम से इस उत्पीड़न को माफ करता प्रतीत होता है। उनके दैनिक जीवन के बारे में।ष महिलाओं के खिलाफ 64 अपराधों में महिलाओं को वेश्यावृत्ति में धकेलना, बंधुआ मजदूरी, ऑनर किलिंग, कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, सती, अनैतिक तस्करी आदि शामिल हैं। नारीनिकेतन में संस्थागत दुर्व्यवहार, पुलिस हिरासत, जेल, मानसिक शरण, अस्पताल और कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न हो सकता है। उनके काम के स्थान पर। इनमें से कुछ चिंता के क्षेत्रों पर यहां संक्षेप में चर्चा की गई है।

(i) बलात्कार बलात्कार महिला को जबरन तबाह करना है। इसका अर्थ है किसी महिला के साथ उसकी सहमति के बिना बल, भय या धोखे से संभोग करना। दूसरे शब्दों में, बलात्कार एक महिला के निजी व्यक्ति की हिंसा है। यह सभी सिद्धांतों द्वारा एक आक्रोश है। 65 एक बलात्कारी न केवल पीड़ित की व्यक्तिगत अखंडता का उल्लंघन करता है बल्कि असहाय महिला की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। भारतीय दंड संहिता 1860 में धारा 375 के तहत बलात्कार को परिभाषित किया गया है।आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार की सजा का प्रावधान है। मथुरा बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद, वर्ष 1983 में कई महत्वपूर्ण बदलाव पेश किए गए थे। महिला पीड़ित को उचित न्याय प्रदान करने के लिए मूल और प्रक्रियात्मक दोनों कानूनों के कानूनी प्रावधानों में संशोधन किया गया था। बलात्कार के अपराध के खिलाफ कानून के कड़े प्रावधानों के बावजूद बढ़ती जा रही है क्योंकि यह नीचे दी गई तालिका 1 से स्पष्ट है, जहां बलात्कार में 56.27 प्रतिशत की वृद्धि हुई है (2012 में 24,923 से 2016 में 38947 तक)।

(ii) घरेलू हिंसा पिछले कुछ दशकों के दौरान घरेलू हिंसा की सार्वभौमिक घटना ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा जाति, रंग, लिंग, पंथ, स्थिति, धर्म, शिक्षा आदि के बावजूद लगभग हर समाज में मौजूद है। भारत में इस घटना को

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

पितृसत्तात्मक समाज के परिणाम के रूप में देखा जाता है और यह विभिन्न रूप ले सकता है जैसे पत्नी को पीटना, दहेज के लिए प्रताड़ना, यौन विकृति, अभद्र भाषा का प्रयोग, अपमान आदि। अक्सर यह गोपनीयता में होता है, वैवाहिक घरों की चारदीवारी के भीतर किया जाता है और रिपोर्ट नहीं किया जाता है। घरेलू हिंसा के शिकार गरीब लोग अपनी किस्मत को साथ लेकर चुपचाप सहते हैं। अक्सर वे सामाजिक कलंक, पारिवारिक प्रतिष्ठा में शामिल होने, संभावित संबंध की आशंका, वित्तीय निर्भरता, बच्चों के भविष्य, धार्मिक भावनाओं के लगाव आदि से डरते हैं, जिसके कारण वे चुप रहना पसंद करते हैं, फिर ऐसे कृत्यों को सार्वजनिक करना पसंद करते हैं। 70 के बावजूद विशेष अधिनियम यानी घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, देश में घरेलू हिंसा के मामलों में पिछले वर्षों की तुलना में 2016 में 3.62% की वृद्धि हुई है।

तालिका 1 वर्ष 2012–2016 में कुछ प्रमुख अपराधों के रुझान

Cognizable Crimes	2012	2013	2014	2015	2016	% change in 2016 over 2012
Rape	24923	33707	36735	34651	38947	56.27%
Domestic Violence	106527	118866	122877	113403	110378	3.62%
Dowry Deaths	7621	8083	8455	7634	8233	8.03%
Sexual Harassment	27344	38711	4593	40613	45351	65.85%
Prostitution & trafficking	2059	3940	5466	1021	659	-67.99%
Kidnapping & Abduction	38262	51881	57311	82999	64519	68.62%
Assault on Women with intent to outrage her/ their modesty	45351	70739	82235	82422	84746	86.87%

(iii) दहेज और दहेज से होने वाली मौतें भारत में, अधिकांश वैवाहिक हिंसा को दहेज की समस्या के तहत जोड़ा जाता है। दहेज घरेलू हिंसा के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। आपराधिक कानून और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 में संशोधन के बावजूद, महिलाओं को दहेज के लिए अपने घरों में जलाना जारी है।इन मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 8.03: की वृद्धि हुई है।

(iv) यौन उत्पीड़न कोई भी व्यक्ति किसी भी शब्द, या चित्र, या संकेत या ध्वनि के प्रदर्शन का उपयोग किसी भी महिला के शील का हनन करने की उम्मीद के साथ करता है, उसे एक वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है। इसे आमतौर पर यौन उत्पीड़न के रूप में जाना जाता है। यौन उत्पीड़न संज्ञेय है और पुलिस मजिस्ट्रेट की सहमति के बिना मामलों की जांच करने में सक्षम है।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

एक युग के निर्णय से, सर्वोच्च न्यायालय ने लैंगिक समानता के मौलिक मानव अधिकार के प्रभावी कार्यान्वयन के नियमों और मानकों को निर्धारित किया है और काम के माहौल में यौन उत्पीड़न के खिलाफ गारंटी दी है। जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंगित किया गया है श्यौन उत्पीड़नश में इस तरह के अवांछित आचरण (चाहे विशेष रूप से या सुझाव के बावजूद) शारीरिक संपर्क या अग्रिम, यौन एहसान के लिए एक रुचि या मांग, स्पष्ट रूप से रंजित टिप्पणियां, इरोटिका का प्रदर्शन और कुछ अन्य अवांछित शारीरिक, मौखिक या शामिल हैं। यौन प्रकृति का अशाब्दिक आचरण।2016 में यौन उत्पीड़न की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में 65.85ः की वृद्धि हुई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध, निवारण) अधिनियम, 2013 के खिलाफ महिलाओं की सुरक्षा को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक का उद्देश्य सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनी सुरक्षा प्रदान करना है। महिला कार्यकर्ता आराम से सांस ले सकती हैं क्योंकि सम्मानजनक जीवन जीने के उनके अधिकार पर अब कानूनी मुहर है।

(v) वेश्यावृत्ति और तस्करीरू ष्वेश्यावृत्ति को ही भारत में किसी भी कानून के तहत अपराध के रूप में नहीं माना जाता है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए यौन शोषण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका; वेश्यावृत्ति के अंतिम लक्ष्य के साथ शोषण की उम्मीद के साथ किसी भी महिला को प्राप्त करने और ले जाने का कार्य अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत एक अपराध के रूप में माना जाता है। वेश्यावृत्ति की कमाई पर रहने वाला एक वयस्क भी हो सकता है उस अपराध को करने के लिए उत्तरदायी।ष अनैतिक व्यापार (रोकथाम) अधिनियम, 1956 के तहत मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2016 में –67.99ः की गिरावट दर्ज की गई है।

(vi) अपहरण और अपहरणरू "महिलाएं परिवार और समाज में कई कारणों से अपहरण और अपहरण की शिकार हो जाती हैं। अविवाहित युवतियों के अपहरण या विवाहित महिलाओं का अपहरण करने का कारण मूल रूप से यौन संबंध, विवाह, भेंट

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

और वेश्यावृत्ति है, जिसके लिए सजा बंदी है जो सात साल से लेकर जीवन तक हो सकती है। "वर्षों में अपहरण और अपहरण के मामलों में 68.62% की वृद्धि हुई है।

(vii) शील भंग करने के इरादे से महिलाओं पर हमलारू षविनम्रता महिलाओं के लिए है, सुगंध क्या फूल है। कोई भी व्यक्ति किसी महिला की लज्जा भंग करने के इरादे से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, तो उस अपराध के लिए दो साल तक की कैद की सजा हो सकती है, जिसे 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। यह लोकप्रिय रूप से छेड़छाड़ के रूप में जाना जाता है। यह संज्ञेय अपराध है और पुलिस को मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना मामलों की जांच करने का अधिकार है। 2016 में पिछले वर्षों की तुलना में छेड़छाड़ की घटनाओं में 86.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अपराध के शिकार की अवधारणा

चूंकि शोध कार्य अपराध की शिकार महिलाओं विशेषकर महिलाओं पर केंद्रित है। आइए पहले हम पीड़ित का अर्थ भी समझते हैं। ष्पीड़ित की अवधारणा प्राचीन इब्रानियों की है। ष्पीड़ितष विषय बहुत पुराना है। शेफ़र (1975) ने श्पीड़ितों के स्वर्ण युगश का भी निर्माण किया, जिसे उन्होंने प्राचीन मेसोपोटामिया में स्थित किया, जहाँ से हम्मुराबी का प्रभावशाली कोड लोगों के पास आया। इस स्वर्ण युग को उस युग के रूप में देखा जाता है जब पीड़ित ने ही यह निर्धारित किया कि अपराधी के साथ क्या हुआ। इन संस्थापक पिताओं से पहले के वैज्ञानिक एजेंडे में ष्पीड़ितष विषय पाया जा सकता है।ष 18 ष्पीड़ित शब्द की जड़ें कई प्राचीन भाषाओं में हैं, जो उत्तर–पश्चिमी यूरोप से एशिया के दक्षिणी सिरे तक एक बड़ी दूरी तय करती हैं और फिर भी एक समान भाषाई पैटर्न रखती हैं। इसका मूल अर्थ बलिदान या बलि के बकरे के विचार में निहित था– किसी देवता या पदानुक्रम को संतुष्ट करने के लिए किसी व्यक्ति या जानवर का निष्पादन या निष्कासन। सैकड़ों वर्षों के दौरान, पीड़ित शब्द के अतिरिक्त निहितार्थ आए। 1940 के दशक में विक्टिमोलॉजी की स्थापना के बीच, विक्टिमोलॉजिस्ट, उदाहरण के लिए, मेंडेलसोहन, वॉन हेंटिग और वोल्फगैंग ने पीड़ितों की पठन सामग्री या लेक्सिकॉन अर्थ का उपयोग असहाय हुडविंक के रूप में किया, जिन्होंने अपने स्वयं के

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

शोषण को प्रेरित किया। 1980 के दशक में महिला कार्यकर्ताओं द्वारा ष्वर्षा के शिकारष् के इस विचार पर भारी हमला किया गया था और पीड़ितों पर विचार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था क्योंकि कोई भी एक अजीब रिश्ते या परिस्थिति में फंस गया था। विषमता का तात्पर्य कुछ भी असमान, शोषक, परजीवी, कठोर, और हानिकारक, विचलित करने वाला, या अपरिवर्तनीय स्थायी होने से है। इस दृष्टि से, विक्टिमोलॉजी शक्ति अंतर के बारे में है।ष 19 ष्आज पीड़ित के विचार में कोई भी व्यक्ति शामिल है जो किसी भी कारण से क्षति, चोट, हानि या कठिनाई का सामना करता है। आम शिकार में किसी ऐसे व्यक्ति की छवि होती है जिसे अपने नियंत्रण से परे ताकतों द्वारा चोट और नुकसान हुआ है। पीड़ित अभिव्यक्ति के नियमित और मिश्रित उपयोग – चर्चा और प्रिंट दोनों में – ने उस तरीके को बदल दिया है जिस तरह से लोग आज पीड़ित के बारे में सोचते हैं। श्पीड़ितश शब्द के वर्तमान निहितार्थ इसके ऐतिहासिक अर्थ से काफी आगे बढ़ गए हैं।ष 20 अमेरिकन हेरिटेज डिक्शनरी में सूचीबद्ध पीड़ित‘‘ की परिभाषाओं की समीक्षा, पीड़ित‘‘ शब्द के स्वीकृत अर्थ की चौड़ाई को स्पष्ट करती हैरू

1. एक व्यक्ति जिसे दूसरे के द्वारा यातना या हत्या का शिकार होना पड़ता है।

2. धर्म के नाम पर किसी जीवित जानवर को भगवान को बलि के रूप में चढ़ाना और मारना।

3. एक व्यक्ति जो किसी भी कार्य और परिस्थितियों के बुरे प्रभावों का अनुभव करता हैरू युद्ध का शिकार।

4. एक व्यक्ति जो किसी भी जानबूझकर कार्य के कारण किसी प्रकार का नुकसान, दुर्व्यवहार या मृत्यु से गुजरता हैरू अपनी साजिश का शिकार।

5. एक आदमी जिसे धोखा दिया गया है, धोखा दिया गया है या उसका शोषण किया गया है; एक चाल।

आपराधिक न्याय प्रणाली में पीड़ित की स्थिति

बहुत लंबे समय से, कानून ने अपना ध्यान अपराध के शिकार की तुलना में अपराधी के अधिकारों पर अधिक केंद्रित किया है। अब

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

समय आ गया है कि हम इस प्रवृत्ति को उलट दें और पीड़ितों और संभावित पीड़ितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें।अपराध पीड़ित आपराधिक न्याय प्रणाली के भूल गए व्यक्ति हैं, अपराधों की रिपोर्ट करने और अदालत में गवाह के रूप में पेश होने की उनकी क्षमता के लिए मूल्यवान धन। उनसे एक आपराधिक न्याय प्रणाली का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है जिसने उनके साथ अपराधी के साथ कम सम्मान के साथ व्यवहार किया है।इसी तरह, सीगल 38 ने अपनी असमानता को निम्नलिखित तरीके से चित्रित कियारू कमजोर, क्रोधित, असुरक्षित, निस्वार्थ, पीड़ित जो सेवा करता है एक अपराधी को देखता है जिसे खिलाया जाता है, रखा जाता है, कानूनी, चिकित्सा, मनोवैज्ञानिक और मानसिक सहायता दी जाती है, यहां तक कि शैक्षिक और व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। पीड़ित ... अकेले पीड़ित है अपराध का शिकार आपराधिक न्याय प्रणाली का श्भूल गया आदमीश है। पीड़ितों के बारे में ज्ञान की यह कमी आश्चर्यचकित करती है, यह देखते हुए कि आपराधिक न्याय प्रणाली, जैसा कि हम आज जानते हैं, अगर उनका सहयोग नहीं आया तो वह ध्वस्त हो जाएगी। सिस्टम के पेशेवरों– पुलिस, वकीलों, अदालत के अधिकारियों और मुआवजे एजेंसियों को चलाने वाले अन्य लोगों के साथ पीड़ित के अनुभवों पर शायद ही कभी विचार किया जाता है, लेकिन उस प्रणाली के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्रभावित करेगा। यदि पीड़ित अपने उपचार को अत्यधिक तनावपूर्ण, अपमानजनक, अनुचित, वास्तविकता को विकृत करने वाला, अपने अधिकारों, भावनाओं और हितों से बहुत दूर या बहुत कम चिंतित मानते हैं या यदि ऐसे विकल्प चुने जाते हैं जिन्हें अस्वीकार्य माना जाता है, तो यह बोधगम्य है कि यह ढांचे द्वारा श्द्वितीयक उत्पीड़नश निराशा, जुड़ाव की कमी और भविष्य में गैर–सहयोग का संकेत दे सकता है, न केवल प्रश्न में व्यक्ति द्वारा, बल्कि उसके साथियों और रिश्तेदारों द्वारा भी। 40 आपराधिक न्याय प्रणाली लगभग विशेष रूप से अपराधी पर केंद्रित है। . जब पीड़ित कानून लागू करने वाली एजेंसियों को अपराध की रिपोर्ट करता है, तो वे एक अपराधी की तलाश करते हैं और एक अपराधी या एक संदिग्ध अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। कानून लागू करने वाली एजेंसियां पीड़ित को केवल अपराधी को

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

खोजने और उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा तय करने के साधन के रूप में जोड़ती हैं। अपराधी को अदालती कार्रवाई के लिए रखा जाता है और मुकदमे में लाया जाता है। पीड़िता अपराधी के खिलाफ राज्य की ओर से गवाह है। दोषी अपराधी को जुर्माना या कारावास की सजा दी जा सकती है या अच्छे आचरण की परिवीक्षा पर रखा जा सकता है, या उसे राज्य द्वारा क्षमा किया जा सकता है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध

"महिलाओं के खिलाफ अपराध दूर–दूर तक एक मुद्दा है। यह सभी धर्मों, जातीय समूहों, वर्गों और राष्ट्रीयताओं की महिलाओं को प्रभावित करता है। यह व्यक्तिगत महिलाओं के लिए एक खतरनाक मुद्दा है और सामाजिक व्यवस्था के लिए एक कठिन मुद्दा है। कई देशों में, महिलाएं पारंपरिक प्रथाओं के आगे झुक जाती हैं जो उनके मानवाधिकारों को नुकसान पहुंचाती हैं या उनका उल्लंघन करती हैं। बर्बरता और हिंसा दुनिया भर में सभी सामाजिक–आर्थिक और शैक्षिक वर्गों में बड़ी संख्या में महिलाओं के जीवन को प्रभावित करती है। यह सामाजिक और धार्मिक बाधाओं को काटता है, महिलाओं के सामाजिक क्षेत्र में पूरे दिल से भाग लेने के विशेषाधिकार में बाधा डालता है। महिलाओं के प्रति क्रूरता घरेलू दुर्व्यवहार से लेकर बलात्कार तक, कम उम्र में शादी के बंधन में बंधने और महिला खतना तक, संरचनाओं का एक अनावश्यक वर्गीकरण लेती है। सभी सबसे आवश्यक मानवाधिकारों का उल्लंघन हैं।ष 10 "यौन अभिविन्यास की प्रवृत्ति सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में मौजूद है। उम्र से महिलाओं को पुरुष को सहायक दर्जा दिया गया है, जहां उसे अपना व्यक्तित्व प्रदान नहीं किया गया है, फिर भी उसे परिवार की इकाई की संपत्ति माना जाता है, जिससे वह संबंधित है और सम्मान और सम्मान के लिए घर में सीमित है। वैसे भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों के दोषी ज्यादातर मामलों में महिलाओं के परिचित या उनसे जुड़े होते हैं। महिलाएं आज हर क्षेत्र में गहरी दिलचस्पी लेती हैं, हालांकि, उनमें से अधिकतर अभी भी अपने घरों तक ही सीमित हैं और आम जनता या देश के निर्माण के प्रति उनकी प्रतिबद्धता इस वजह से एक विशिष्ट डिग्री तक सीमित है। उनके पुरुष साथी दुनिया की सारी शक्ति

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

और आनंद का आनंद लेते हुए दुनिया चलाते हैं, जबकि महिलाएं परिवार इकाई, समाज और देश निर्माण में निभाई गई नौकरी से अलग, अशिक्षित, ज्ञानी और अप्रतिबंधित रहती हैं। महिलाएं अपने जन्म के दिन से लेकर पितृसत्तात्मक मानसिकता के कारण मरने तक पुरुष के क्रोध का सामना करती हैं। " आज के परिदृश्य में "स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर अंतरिक्ष में जाने तक महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में भाग लिया है; महिलाओं की प्रतिभा से हर क्षेत्र को जोड़ा गया है। आज की महिलाओं ने घटते लिंगानुपात से लेकर विवाह के लिए महिलाओं की तस्करी, मानवाधिकारों के उल्लंघन से लेकर बंधुआ मजदूरी के रूप में आधुनिक दासता आदि तक कई मुद्दों का सामना किया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मुद्दे को विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से संबोधित करने वाला पहला अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार साधन है। यह पुष्टि करता है कि यह घटना महिलाओं के मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के उनके प्रयोग का उल्लंघन करती है, क्षीण करती है या समाप्त करती है।

घोषणा लिंग–आधारित दुर्व्यवहार की परिभाषा प्रदान करती है, इसे लिंग–आधारित हिंसा का कोई भी कार्य कहते हैं, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें इस तरह के कृत्यों की धमकी, जबरदस्ती या स्वतंत्रता से मनमाने ढंग से वंचित करना शामिल है, चाहे वह घटित हो। सार्वजनिक या निजी जीवन में। घोषणा के दूसरे लेख में लिंग–आधारित दुर्व्यवहार की एक विस्तृत परिभाषा पर चर्चा की गई है, जो मुख्य रूप से तीन हद तक इंगित करता है जिसमें ज्यादातर हिंसा होती है शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा जो होती है परिवार, जिसमें मारपीट भी शामिल हैरू घर में महिला बच्चों का यौन शोषण; दहेज से संबंधित हिंसा; वैवाहिक बलात्कार; महिला जननांग विकृति और महिलाओं के लिए हानिकारक अन्य पारंपरिक प्रथाएं; गैर–विवाहित हिंसा; और शोषण से संबंधित हिंसा;

• शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा जो सामान्य समुदाय के भीतर होती है, जिसमें बलात्कार भी शामिल है; यौन शोषण; काम

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

पर यौन उत्पीड़न और धमकी; और जबरन वेश्यावृत्ति;"

•शारीरिक, यौन और मनोवैज्ञानिक हिंसा जहां कहीं भी होती है, राज्य द्वारा की जाती है या उसे माफ कर दिया जाता है।

तालिका 2 भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध और कुल आईपीसी अपराध (2012–2016)

Year	Total IPC Crimes	Crime against women	Percentage of total IPC Crimes t Crime against Women
2012	23,87,188	2,44,270	10.2%
2013	26,47,722	2,95,896	11.2%
2014	28,51,563	3,25,327	11.4%
2015	29,49,400	3,14,575	10.7%
2016	29,75,711	3,38,954	11.3%

तालिका 2 वर्ष 2012 से 2016 तक महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में बताती है जो भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध की कुल घटनाओं में जबरदस्त वृद्धि दर्शाती है। 2012 के वर्ष में भारतीय दंड संहिता के तहत किए गए कुल अपराध 23,87,188 थे, जिनमें से 2,44,270 महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या थी और यह कुल आईपीसी अपराधों का 10.2 प्रतिशत था। 2013 के वर्ष में कुल आईपीसी अपराध बढ़कर 26,47,722 हो गए जिसमें 11.2 प्रतिशत ऐसे अपराध थे जो महिलाओं के खिलाफ किए गए थे। इसके अलावा वर्ष 2014 में कुल आईपीसी अपराध बढ़कर 28,51563 हो गए और इस वर्ष महिलाओं के खिलाफ अपराधों का प्रतिशत भी बढ़कर 11.4 प्रतिशत हो गया है। वर्ष 2015 में कुल अपराधों की संख्या बढ़कर 29,49,400 हो गई लेकिन महिलाओं के खिलाफ कुल अपराधों के प्रतिशत में मामूली कमी आई जो कुल आईपीसी अपराधों का 10.7 प्रतिशत था। वर्ष 2016 में कुल आईपीसी अपराधों की संख्या बढ़कर 29,75,711 हो गई और महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या बढ़कर 3,38,954 हो गई और यह कुल अपराधों का 11.3 प्रतिशत था। तालिका के विश्लेषण से पता चला कि 2012 से 2016 तक कुल आईपीसी अपराधों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई है और 2015 के वर्ष को छोड़कर महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में भी कमी आई है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों का प्रतिशत भी कुल आईपीसी अपराधों के संबंध में वर्ष

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

2012–2016 से 10.2 प्रतिशत से बढ़ाकर 11. 3 प्रतिशत कर दिया गया है।

निष्कर्ष

"महिलाओं के खिलाफ अपराध एक विश्वव्यापी महामारी है। यह सबसे नियमित और प्रचलित मानवाधिकार उल्लंघनों में से एक है। यह व्यक्तिगत और यादृच्छिक कृत्यों के बजाय लैंगिक सामाजिक संरचनाओं में निहित है; यह उम्र, सामाजिक–आर्थिक, शैक्षिक और भौगोलिक सीमाओं को काटता है; सभी समाजों को प्रभावित करता है; और विश्व स्तर पर लैंगिक असमानता और भेदभाव को समाप्त करने में एक बड़ी बाधा है। संयुक्त राष्ट्र महिलाओं के खिलाफ अपराध को षलिंग आधारित हिंसा के किसी भी कार्य के रूप में परिभाषित करता है, जिसके परिणामस्वरूप शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होने की संभावना है। हालांकि महिलाएं किसी भी व्यापक अपराध की शिकार हो सकती हैं, जैसे कि विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ शासित होते हैं, उन्हें महिलाओं के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

ज्योत्सना मिश्रा (2020) महिला और मानवाधिकार, कल्पना प्रकाशन, नई दिल्ली।

एम.के. रॉय (2020) महिलाओं के खिलाफ हिंसा, सामान्य संपत्ति, नई दिल्ली

रचना कौशल (2020) भारत में महिलाएं और मानवाधिकार। 92 विलियम एस. कैथरीन (2001)रू क्रिमिनोलॉजी पर पाठ्यपुस्तक, यूनिवर्सल लॉ पब्लिशिंग कंपनी प्रा। लिमिटेड, नई दिल्ली

डॉ.एस.एस.श्रीवास्तव (2012) अपराध विज्ञान और आपराधिक प्रशासन, केंद्रीय कानून एजेंसी, इलाहाबाद।

आर.सी. हिरेमठ (2012) वीमेन इन ए चौलेंजिंग वर्ल्ड, पॉइंटर पब्लिशर्स, जयपुर

आरआई मावबी और एस वॉकलेट (2012) क्रिटिकल विक्टिमोलॉजी, सेज पब्लिकेशंस लिमिटेड, लंदन

सौम्या कुशवाहा (2013) महिला कल्याण, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली।

मनविंदर कौर और आमेर सुल्ताना (2015) जेंडर रियलिटीज, अभिषेक पब्लिकेशन, चंडीगढ़।

International Journal For Advanced Research In Science & Technology
A peer reviewed international journal www.ijarst.in
ISSN: 2457-0362

पीआर भारद्वाज (2015) महिला सशक्तिकरण की लिंग भेदभाव राजनीति, अंबिका प्रकाशन, नई दिल्ली

मोनिका चावला (2016) जेंडर जस्टिसरू वीमेन एंड लॉ इन इंडिया, डीप एंड डीप पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

लक्ष्मी लिंगम (2018) सेक्स डिटेक्शन टेस्ट और कन्या भ्रूण हत्यारू जन्म से पहले भेदभाव, महिला स्वास्थ्य मुद्देरू एक पाठक, विकास प्रकाशन, दिल्ली

एम.ए. खान (2016) महिला और मानवाधिकार, एसबीएस प्रकाशन, नई दिल्ली

डॉ. मोहिनी वी. गिरी (2016) समाज में महिलाओं की असमान स्थिति से वंचित, ज्ञान प्रकाशक, नई दिल्ली

गिरजा और वर्गीज (2018) महिला और अपराध, सेज प्रकाशन, नई दिल्ली

वीना मजूमदार (2018) भारत में महिलाओं की स्थिति, सहयोगी प्रकाशक, नई दिल्ली

राम आहूजा (2017) महिलाओं के खिलाफ अपराध, रावत प्रकाशन, जयपुर

वॉकेट सैंड्रा (2019) विक्टिमोलॉजीरू द विक्टिम एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, अनविन हाइमन लिमिटेड, यूके

सुषमा सूद (2020) द फ्यूचर ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली

डेविड नेलकेन (2014) द फ्यूचर्स ऑफ क्रिमिनोलॉजी, सेज पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली